न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –219/2012 (अपील)

1. ललिता पुत्री मांगीलाल जाति कोली, निवासनी कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिला कोटा (राज.)

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र रामनारायण
2. गिर्राज पुत्र रामनारायण
3. सोहन लाल पुत्र रामनारायण
4. मोहनलाल पुत्र रामनारायण
5. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण
6. मनोहर बाई पुत्री स्व0 रामनारायण
7. रामकंवरी बाई उर्फ रामू बाई पुत्री स्व0 रामनारायण
8. भूरी बाई बेवा स्व0 रामनारायण जाति मेघवाल (बलाई) निवासीगण सकतपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. बाबूलाल पुत्र फून्दीलाल जाति रेगर नि0 चितावा, तह0 के0 पाटन, जिला बून्दी ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये, तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट.

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं0 733 दिनांक 25.11.2011 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा, अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट

उपस्थिति

1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री तेजमल जैन, वकील रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 04.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 733 दिनांक 25.11.2011 ग्राम नान्ता में आदेश पारित कि–" मुताबिक रिपोर्ट पटवारी,व कानूनगों एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार क्रेता बाबूलाल पुत्र फून्दीलाल जाति रेगर स्वीकार स्वीकार ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.06.2012 को पेश कर कथन किया कि नामा0 सं0 733 बिना धारा 133 एल आर एक्ट की पालना किये हुये खोला गया है, जो कानूनन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलांटा के पिता स्व0 मांगीलाल जी पुत्र ओंकार जाति कोली निवासी कुन्हाडी द्वारा ग्राम नान्ता की आराजी ख0नं0 2656/328–29 की 6 बीघा 3 बिस्वा व ख0नं0 2652/328–329 की 7 बीघा 9 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बाला पुत्र छोटू पिसरान धूल्या मेघवाल निवासी नान्ता, से दिनांक 19.3.53 को खरीद की थी ओर इसी प्रकार आ0ख0 नं0 411 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामनारायण पुत्र मन्ना मेघवाल से खरीद की थी, जो नामान्तकरण

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

खुलकर उनके खाते दर्ज हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांटा एक मात्र पुत्री होने से उक्त आराजी अपीलांटा के खाते सेटलमेंट से पूर्व दर्ज हो गई थी, इसलिये रामनारायण के वारिसान एक बार बिकी हुई भूमि को पुनः विक्रय नहीं कर सकते है, और न ही सेटलमेंट विभाग को दर्ज खाते में से रकबा कमी करने का कोई अधिकार ही प्राप्त है और ऐसा कृत्य सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर किया गया है, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है और स्थिति पूर्ववत यथावत मानी जावेगी और इस सम्बन्ध में धारा 136 लै0 रे0 एक्ट के तहत कार्यवाही जिला कलक्टर कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो ललिता बनाम रामनारयण के नाम से प्रकरण सं0 21/2006 है और माननीय जिला कलक्टर महो0 द्वारा दौराने कार्यवाही प्रार्थना पत्र स्थगन 87/06 में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था, तदुपरान्त उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां मुन्तकिल कर दी गई जो वर्तमान में वहां जैरकार है । सेटलमेंट विभाग ने गत रकबे अनुसार 2.42 हे0 आराजी के स्थान पर 1.42 हे0 दर्ज कर 1.00 हे0 भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज की गई है, और जो उक्त भूमि भूरा पुत्र किशोर्या जाति बलाई एवं रामनारायण के सेटलमेंट विभाग ने गलत खाते दर्ज कर दी थी उसकमें आराजी ख0नं0 1188 भी है, जो गत ख0नं0 411 का ही भाग है और इस तथ्य की जानकारी रामनारायण को थी, परन्तु रामनारायण जब तक जीवित रहा, तब तक उसने उक्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं किया, किन्तु उसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान ने अपना नाम रिकार्ड में दर्ज करवा कर उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 9 को चुपचाप विक्रय कर दी, जिसे विक्रय करने का उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, क्योकि उक्त आराजी ख0नं0 1188 सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से रामनारायण के दर्ज कर दी थी, जो वास्तव में स्वर्गीय मांगीलाल की भूमि थी और स्व0 मांगीलाल की एक मात्र पुत्री होने से अपीलांटा उक्त सेटलमेंट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने की अधिकारिणी है । न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि मौके की नियमानुसार जांच कर पक्षकारों को विधिवत सुना जावें । इसके विपरीत रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 व 9 से मिली भगत कर चुपचाप नामान्तंकरण दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है । उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलांटा को सर्व प्रथम पटवारी हल्का द्वारा बताने पर 12.6.2012 को हुई और जिस पर उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर दिनांक 15.6.2012 को नकल प्राप्त हुई, नकल प्रापत होने पर अविलम्ब जानकारी की तिथ से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि नामा0 सं0 733 बिना धारा 133 एल आर एक्ट की पालना किये हुये खोला गया है, जो कानूनन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलांटा के पिता स्व0 मांगीलाल जी पुत्र ओंकार जाति कोली निवासी कुन्हाडी द्वारा ग्राम नान्ता की आराजी ख0नं0 2656 /328–29 की 6 बीघा 3 बिस्वा व ख0नं0 2652/328–329 की 7 बीघा 9 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बाला पुत्र छोटू पिसरान धूल्या मेघवाल

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

निवासी नान्ता, से दिनांक 19.3.53 को खरीद की थी ओर इसी प्रकार आ0ख0 नं0 411 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामनारायण पुत्र मन्ना मेघवाल से खरीद की थी, जो नामान्तकरण खुलकर उनके खाते दर्ज हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांटा एक मात्र पुत्री होने से उक्त आराजी अपीलांटा के खाते सेटलमेंट से पूर्व दर्ज हो गई थी, इसलिये रामनारायण के वारिसान एक बार बिकी हुई भूमि को पुनः विक्रय नहीं कर सकते है, और न ही सेटलमेंट विभाग को दर्ज खाते में से रकबा कमी करने का कोई अधिकार ही प्राप्त है और ऐसा कृत्य सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किया गया है, जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है और स्थिति पूर्ववत यथावत मानी जावेगी और इस सम्बन्ध में धारा 136 लै0 रे0 एक्ट के तहत कार्यवाही जिला कलक्टर कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो ललिता बनाम रामनारयण के नाम से प्रकरण सं0 21/2006 है और माननीय जिला कलक्टर महो0 द्वारा दौराने कार्यवाही प्रार्थना पत्र स्थगन 87/06 में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था, तदुपरान्त उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां मुन्तकिल कर दी गई जो वर्तमान में वहां जैरकार है । सेटलमेंट विभाग ने गत रकबे अनुसार 2.42 हे0 आराजी के स्थान पर 1.42 हे0 दर्ज कर 1.00 हे0 भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज की गई है, और जो उक्त भूमि भूरा पुत्र किशोरया जाति बलाई एवं रामनारायण के सेटलमेंट विभाग ने गलत खाते दर्ज कर दी थी उसकमें आराजी ख0नं0 1188 भी है, जो गत ख0नं0 411 का ही भाग है और इस तथ्य की जानकारी रामनारायण को थी, परन्तु रामनारायण जब तक जीवित रहा, तब तक उसने उक्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं किया, किन्तु उसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान ने अपना नाम रिकार्ड में दर्ज करवा कर उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 9 को चुपचाप विक्रय कर दी, जिसे विक्रय करने का उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, क्योंकि उक्त आराजी ख0नं0 1188 सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से रामनारायण के दर्ज कर दी थी, जो वास्तव में स्वर्गीय मांगीलाल की भूमि थी और स्व0 मांगीलाल की एक मात्र पुत्री होने से अपीलांटा उक्त सेटलमेंट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने की अधिकारिणी है । अतः अपील अपीलांटा स्वीकार फरमाई जाकर आदेश नामान्तकरण सं0 733 दिनांक 25.11.2011 निरस्त फरमाया जावें । वकील अपीलांट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 2011 (1) RLW-9s.c.
2. RRD-2009-303
3. RBJ 2010-499 (s.c)
4. RBJ 1995- 138
5. RBJ 2006-671

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । उक्त अपील से सम्बन्धित वाद उपखण्ड अधिकारी कोटा में चला जहां से खारिज हो चुका है तथा राजस्व मण्डल अजमेर से भी अपील खारिज हो चुकी है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति जब मूल वाद ही खारिज हो चुका है तो नामान्तकरण में हक व अधिकार तय नहीं हो सकते है । अतः नामान्तकरण प्रकिया में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा0 सं0 733 दिनांक 25.11.2011 ग्राम नान्ता के विरूद्ध लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.06.2012 को पेश की गई है । प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु विलम्ब से पेश करने के कारण को ध्यान में रखते हुए न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट धारा 5 स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जेर अपील नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकृत किया गया है । अपीलांट का कहना है कि गत रकबे अनुसार 2.42 हे0 आराजी के स्थान पर 1.42 हे0 दर्ज कर 1.00 हे0 भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा भूरा पुत्र किशोर्या बताई एवं रामनारायण के नाम गलत दर्ज कर दी गई, किन्तु पत्रावली में संलग्न दस्तावेज अनुसार उपखण्ड अधिकारी कोटा से अपीलांट का मूल वाद खारिज हो चुका है । तथा नामान्तकरण प्रकिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अपीलांट के हक व अधिकार नियमित वाद में ही तय होंगे । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार एवं कारण पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से अपील खारिज योग्य पाते है ।
9. अतः वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने के ठोस आधार एवं कारण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का नामा0 सं0 733 दिनांक 25.11.2011 ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा यथावत रखा जाता है ।
10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner